कितनी सुरक्षित है हमारी सीमाएं

Dr. SURVIND KUMAR
Department of Political Science,
B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur.

Abstract:

वर्ष 2008 के मुंबई हमले, पंजाब स्थित पठानकोट एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमले और चीन के साथ डोकलाम विवाद कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सीमा प्रबंधन की महत्ता को उजागर करते हैं। इस प्रस्तुती (Research paper) में हम सीमा प्रबंधन को दो भागों; समुद्री सीमा का प्रबंधन और स्थलीय सीमा का प्रबंध्न में बांट कर समझने का प्रयास करेंगे।

keywords: आंतरिक सुरक्षा, डोकलाम विवाद, सीमा प्रबंधन, भौगोलिक तंत्र, आतंक

DISCUSSION:

किसी भी देश के लिए उसकी आंतरिक सुरक्षा व्यापक महत्व रखती है, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां विभिन्न धर्मो, विभिन्न पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं वहां यह समस्या और जटिल हो जाती है। भारत का जटिल भौगोलिक तंत्र भी इस चुनौती को और बढ़ाता है। पड़ोसी देशों से संबंध भी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अधिकारियों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन किए बिना भारत एक शक्तिशाली और महान देश नहीं बन सकता। आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन देश के लिए एक प्रमुख चुनौती है। संगठित अपराध, आतंकवाद, उग्रवाद, आंतरिक मामले में विदेशी ताकतों द्वारा हस्तक्षेप, सीमाओं का प्रबंधन, साइवर सुरक्षा, बैंकिंग धोखाधड़ी आदि भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि कई देश आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं के साथ धराशायी हो रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 37 देश ऐसे हैं जो नाकाम रहे या कमजोर हो गए। उनमें से सिर्फ नौ देशों में ही बाहरी हमला कारण था जबकि 28 देश खुद ही कमजोर हुए या नाकाम रहे कोंकि वे अपनी आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन नही कर सके।

सीमा प्रबंधन

समुद्री सीमा का प्रबंधन

वर्ष 2008 के मुंबई हमले (26/11), पंजाब स्थित पठानकोट एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों में भारत की समुद्री सीमा से भारत मे प्रवेश किया था जो भारत के समुद्री सीमा प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगता है। भारत की समुद्री सीमा सुरक्षा की वर्तमान स्थिति को समझने से पहले

तटीय सीमा पर विश्व समुदाय द्वारा किये गये अंतर्राष्ट्रीय समझौते को समझ लेते हैं इससे समुद्री सीमा में न्यायिक क्षेत्र को समझने में मदद मिलेगी।

दरअसल, सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां निर्धारित करने के लिए विश्व समुदाय ने एक संधि की हुई है जिसे ''संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि (United Nations Convention on the Law of the Sea : UNCLOS) के नाम से जाना जाता है। UNCLOS एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां निर्धारित करता है और समुद्री साधनों के प्रयोगों के लिए नियम स्थापित करता है। यह संधि सन् 1982 में तैयार हो गयी लेकिन 60 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने पर ही लागू होने की प्रारंभिक शर्त के कारण यह सन् 1994 से लागू हुई। सन् 2011 तक 161 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके थे। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :

आंतरिक जल (Internal waters) : जब हम समुद्र किनारे के टेढ़े–मेढ़े तट को मिलाते हुए एक काल्पनिक सीधी रेखा खींचते हैं, तो उस रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। स्थलीय भाग व आधार रेखा के बीच जो समुद्री जल पाया जाता है उसे 'आंतरिक जल' कहते हैं। यह वे सारे जलाशय और नदियाँ होती हैं जो किसी देश की जमीनी सीमा के भीतर हों। इनपर राष्ट्र अपनी मन–मर्जी के नियम बना सकते हैं। किसी अन्य राष्ट्र की नौका को इनमें घुसने का या इनका प्रयोग करने का बिलकुल कोई अधिकार नहीं है।

क्षेत्रीय जल (Territorial Waters) : आधार रेखा से 12 समुद्री मील के भीतर के क्षेत्र को क्षेत्रीय जल या उस राष्ट्र की प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। इसमें वह राष्ट्र अपने कानून बना सकता है और जिस साधन का जैसे चाहे प्रयोग कर सकता है। विदेश नौकाओं को इस क्षेत्र से निष्छल परिवहन करने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि वे बिना रूके सीधे इस क्षेत्र से होकर अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। उस राष्ट्र की सुरक्षा और शान्ति को किसी भी तरह से भंग करने का या भंग करने की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्र को इस निष्छल परिवहन पर भी कुछ समय तक रोक लगाने का अधिकार है।

संलग्न क्षेत्र (Contiguous zone) :- क्षेत्रीय जल से 12 समुद्री मील आगे तक (यानि तट से 24 समुद्री मील आगे तक) राष्ट्रों को अधिकार है कि वे चार पहलुओं पर अपने कानून लागू कर सकें– प्रदूषण, कर (लगान), सीमाशुल्क और अप्रवासन (इम्मीग्रेशन), इस क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहते हैं।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive economic zones) : क्षेत्रीय जल के अंत से 200 समुद्री मील बाहर के क्षेत्र में केवल उसी राष्ट्र का साधनों पर आर्थिक अधिकार है, चाहे वह समुद्र के फर्श से या उसके नीचे से तेल या अन्य साधन निकालना हो, चाहे वह मछली पकड़ने का अधिकार हो। इस क्षेत्र से विदेशी नौकांए और विमान खुली छूट के साथ निकल सकते हैं। यहां विदेशी राष्ट्रों और कम्पनियों को संचार तारे भी समुद्र के फर्श पर लगाने का अधिकार है।

उच्च सागर (High Sea) : अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारह का क्षेत्र उच्च सागर कहलाता है। भारत की समुद्री सीमा की लम्बाई 7,516.6 कि.मी. है जो कि दक्षिण–पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और सुदूर दक्षिण–पूर्व में थाइलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों जुड़ी हैं। भारत अपने कुल अंतराष्ट्रीय वस्तु व्यापार का 95 प्रतिशत हिस्सा समुद्री परिवहन के द्वारा आयात–निर्यात करता है। 26/11 और पठानकोट एयरफोर्स बेस जैसे हमले भी समुद्री सीमा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।

- 26 नवंबर को हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत ने अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनके तहत भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) को समुद्री सीमा में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। भारतीय नौसेना तटीय सुरक्षा और अपतटीय सुरक्षा सहित समुद्री सुरक्षा के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि भारतीय तटों की सुरक्षा राज्य समुद्री पुलिस, भारतीय तट रक्षक और भारतीय नौसेना की त्रि–स्तरीय प्रणाली द्वारा सुनिश्चित की जाती है। भारत द्वारा समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए किये गये प्रयास निम्नलिखित हैं।
- द्वीपसमूहों के समग्र विकास के लिए 1382 भारतीय ऑफ–शोर द्वीपसमूहों की पहचान की गई है।
- द्वीपसमूहों के सैटेलाइट इमेजरीज एवं संपूर्ण जियोस्पेशियल डाटाबेस वाले आइलैंड इनफॉरमेशन सिस्टम नामक सुरक्षित वेब पोर्टल विकसित किया गया है।
- 26/11 के बाद राष्ट्रीय कमांड नियंत्रण संचार और खुफिया नेटवर्क (NCCCIN or NC31N) बनाया गया है; इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके जरिये समुद्री क्षेत्रों में लगाए गये राडार और कैमरों की ममद से तटीय सुरक्षा की निगरानी की जाती है।
- 26/11 के बाद तटरक्षक बल को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं क्षेत्रीय जल की जिम्मेदारी भी तटरक्षक बल को दे दी गई है। भारतीय तट रक्षक बल साल में दो बार तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन करता है, जिसमें सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदशों के सभी हितधारक शामिल होते हैं। भारतीय तटरक्षक, तटीय सुरक्षा के सभी मामलों में केंद्र एवं राज्य के मध्य समग्र रूप से समन्वय का कार्य करती है।
- तटीय पुलिस के प्रशिक्षण के लिए गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थान और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदशों की पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों में राज्य समुद्री पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों की स्थाना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
- तटीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए उनकी निगरानी और समन्वय तंत्र को मजबूती प्रदान करने केलिए सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर एक संस्थागत तंत्र तैयार किया है और साथ ही तटीय सुरक्षा की समीक्षा हेतु गृह मंत्रालय की संचालन समिति को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान की है।

- तटीय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के तटीय क्षेत्रों में गश्त लगाने और निगरानी से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तटीय सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तटीय पुलिस स्टेशनों, चेक पोस्ट, चौकियों और पुलिस की नावों को बांधने के लिए घाटों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, इस योजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
- मछुआरों की नावों को स्वचालित पहचान प्रणाली से जोड़ा गया है।
- तटीय क्षेत्रों में विभिन्न बलों के बीच संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है।
- अवैध आवाजाही पर नजर रखने के लिए मछली पकड़ने की नौकाओं के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया है और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मछुआरों को संवेदनशील बनाने के लिए भरतीय तट रक्षक द्वारा समुदायों से बातचीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और यदि नौका का आकार 20 मीटर से अधिक है तो GIS टैग लगाना अनिवार्य किया जाता है।
- तटीय सुरक्षा प्रणाली को सत्यापित करने, परिचय पत्र एवं पंजीकरण दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा समुद्र में मछुआरों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से बोर्डिंग ऑपरेशन किये जाते हैं।

नौवाहन विभाग (अधिकार क्षेत्र और समुद्री दावों के निपटारे) अधिनियम, 2017 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –

- इस अधिनियम ने अदालतों के एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकारों, समुद्रतटीय दावों पर अदालतों कार्यवाही, जहाजों की जब्ती और अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े मौजूदा कानूनों को सुदृढ़ किया है। अभी तक भारतीय न्यायालयों के एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकार का वैधानिक ढ़ांचा ब्रिटिश काल में बनाए गए पांच कानूनों के अंतर्गत् था। यह वैधानिक ढ़ांचा कुशल शासन में बाधा उत्पन्न करता था।
- यह अधिनियम भारत के तटवर्ती राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों पर एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है अऔर इस क्षेत्राधिकार का विस्तार समुद्री सीमा तक है।
- केंद्रीय सरकार के अधिसूचना के द्वारा इस क्षेत्राधिकार को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या किसी भारतीय समुद्री क्षेत्र या द्वीप समूह तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह सभी जहाजों पर लागू होगा चाहे उसके मालिक का आवास या निवास स्थान कहीं भी हो।
- अंतर्देशीय जहाजों और निर्माणाधीन जहाजों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर इन जहाजों को भी इसके दायरे में ला सकती है।

स्थलीय सीमा का प्रबंधन

- भारतीय स्थलीय सीमा की लम्बाइ 15,200 कि.मी. है। भारत की स्थनीय सीमा उत्तर–पश्चिमी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है, उत्तर में चीन तथा नेपाल और भूटान से लगी हुई है

और पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार से। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों जुड़ी है।

- पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमा की सुरक्षा बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स (BSF) नेपाल और भूटान से लगी सीमा की सुरक्षा बल (SSB),मयांमार से लगी सीमा की सुरक्षा असम रायफल्स व भारत चीन सीमा की सुरक्षा भारत तिब्बती सीमा पुलिस (TTBP) करती है। नियंत्रण रेखा (LOC, पाकिस्तान) व वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC, चीन) में भारतीय सेना भी कार्यरत है।
- सीमा पर घुसपैठ, ड्रग व मानव की तस्करी, संगठित अपराध, साझी संस्कृति होने के कारण प्रवासियों तथा घुसपैठियों की पहचान की मुश्किल, भौगोलिक रूप से सीमा का जटिल होना, मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी व पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद आदि भारत में स्थलीय सीमाओं के समक्ष प्रमुख समस्याएं हैं।

References:

(1) Brig. (Dr.) Lai, A.K., Asst Prof. Anil Kumar, Asst Prof. Rishikesh Kumar (eds), (2014), Enabling ITfor Business Strategies: An innovative approach for economic growth, first edition, published by Himalaya Publishing House Pvt. Ltd., Mumbai - 400004.

(2) Chatterjee, Rupali, (2012), Geography of India, first edition. Global Academic Publishers and Distributors, New Delhi-110002 (India).

(3) Dr. Choubey, S.K., Dr. Pendse, N. G., Dr. Shukla, Narendra (eds), (2006), Globalisation and its impact on Indian Economy, first edition, published by Adhayan Publishers and Distributors, New Delhi- 110002.

(4) Das, Sudhansu Kumar, Jeena, Sanjeeb Kumar, Das, Sanjay Kanti (eds), (2012), Microfinance and empowerment ofrural poor in India, first edition, published by New Century Publications, New Delhi- 110002 (India).

(5) Gupta, K, R. (ed), (2005), Studies in Indian economy, published by Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi -110027.

(6) H. Nandan, (2011), Fundamentals ofEntreprenership 2nd edition, published by Asoke K. Ghosh, PHI learning private limited. New Delhi- 110001.

(7) H.S. Cheema, editor-in-chief; Er. Khanna, Sai Kiran, Prof. Jha, Seema (eds), (2011), Women empowerment in the 21st century, published by Himalaya Publishing House Pvt. Ltd., Mumbai- 400004.

(8) Hisrich, Robert D., Peters, Michael P., Shepherd, Dean A., (2007), Entrepreneurship, 6th edition, published by Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd., New Delhi and typeset at Script Makers, New Delhi - 110063 and Printed at Rashtriya Printers, Delhi-110032.